भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3324

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेद पर्यटन हेतु वैश्विक केंद्र के रूप में केरल

3324. श्री शफी परम्बिल

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में केरल का आयुर्वेद और आरोग्य पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में संवर्धन किए जाने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो केरल को योजनावार आवंटित की गई और जारी की गई निधि कितनी है;

(ग) राज्य में केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं, उत्कृष्टता केंद्रों, औषधीय पादप कृषि कार्यक्रमों और आयुष संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा केरल से साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सरकार ने देश में आयुष-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। पर्यटन मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के परामर्श से चिकित्सा एवं आरोग्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति और रूपरेखा तैयार की है।

आयुष-आधारित उपचार प्राप्त करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों की सुविधा के लिए सरकार ने 27 जुलाई, 2023 को आयुष वीज़ा की एक पृथक श्रेणी शुरू की। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद तथा अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में चिकित्सा मूल्य यात्रा(एमवीटी) को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के अधीन भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब तक आयुष मंत्रालय ने चिकित्सा मूल्य यात्रा के क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दो चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया है। पहला सम्मेलन 30.09.2024 को मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र के लिए आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया जबकि दूसरा सम्मेलन 26.05.2025 को चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र के लिए आयोजित किया गया, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा पुडुचेरी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया।

(ग): राज्य में अनुसंधान गतिविधियाँ आयुष मंत्रालय की संबंधित अनुसंधान परिषदों के अधीन कार्यरत इकाइयों/संस्थानों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। वर्तमान में, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच) के अधीन कार्यशील राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एनएचआरआईएमएच), कोट्टायम में 34 अनुसंधान कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के अधीन केरल राज्य में दो संस्थान कार्यशील हैं, अर्थात् राष्ट्रीय पंचकर्म आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (एनएआरआईपी), चेरुतुरुति और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), तिरुवनंतपुरम। सीसीआरएएस ने राज्य में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएँ संचालित की हैं, जिनमें चिकित्सीय- नृवंश- वनस्पति सर्वेक्षण (एमईबीएस), नृवंश-आहार संबंधी अध्ययन, औषधीय पौधों की पादप-विविधता का अभिलेखीकरण तथा औषधीय पौधों की खेती से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम) की नैदानिक अनुसंधान इकाई केरल के एडाथला में कार्यशील है तथा वृद्धावस्था स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएँ प्रदान करती है। केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) के अधीन कार्यरत सिद्ध क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (एसआरआरआई), जो केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पूजापुरा में अवस्थित है, विशेष रूप से सिद्ध चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह संस्थान पारंपरिक सिद्ध औषधि-योगों के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, साक्ष्य-आधारित नैदानिक अध्ययनों तथा सिद्ध औषधियों के मानकीकरण में सक्रिय रूप से संलग्न है। यह संस्थान नैदानिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण अनुसंधान तथा औषधीय पौधों से संबंधित अनुसंधान संबंधी आंतरिक अनुसंधान (आईएमआर) परियोजनाएँ संचालित करता है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य वार्षिक कार्ययोजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से केरल राज्य को आयुष स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन कार्ययोजनाओं को एनएएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष अनुमोदित किया जाता है। एनएएम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता में आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों प्रकार के अनुदान शामिल हैं। आवर्ती अनुदानों के अंतर्गत आयुष संस्थानों को औषधियों की आपूर्ति, आकस्मिक व्यय तथा आयुष चिकित्सालयों के लिए मानव संसाधन सहायता प्रदान की जाती है। अनावर्ती अनुदानों के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं के निर्माण, नवीनीकरण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण जैसी आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ आयुष संस्थानों के लिए उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध कराए जाते हैं।

आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) द्वारा कार्यान्वित 'औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन' केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत, औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान गतिविधियों के लिए देशभर के सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों एवं संगठनों को परियोजना-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'आयुर्स्वास्थ्य योजना' के अंतर्गत केरल में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसका विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): सरकार ने साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद, अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन तथा केरल सहित आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. नियामक निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में आयुष वर्टिकल, राज्य/केंद्र राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और सीडीएससीओ के संयुक्त निरीक्षणों के माध्यम से ग्राह्य आयुष औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन औषधि उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।

ii. भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा आयुष औषधियों को आयुष मानक चिह्न और आयुष प्रीमियम चिह्न, क्रमशः निर्धारित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अन्य-पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में आयुष गुणवत्ता चिह्न कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करना, उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ाना तथा आयुष उत्पादों और सेवाओं की वैश्विक पहचान एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। पिछले कुछ वर्षों में केरल में 77 आयुष स्वास्थ्य देख-रेख संगठनों को क्यूसीआई के एक घटक बोर्ड, राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

iii. आयुर्वेद और योग को आईएसओ/टीसी249 की अनुभागीय समिति-2 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि आयुर्वेद और योग के अंतरराष्ट्रीय मानकों, शब्दावली, सामग्री की गुणवत्ता एवं सुरक्षा, अर्क, तैयार उत्पादों, आयुर्वेद-आधारित आहार अनुपूरकों, योग सहायक उपकरणों आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

iv. केरल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयुष विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) मानकीकरण समिति का गठन किया गया है। इस समिति को एएसयू औषधि निर्माण उद्योग के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण करने, व्यावहारिक समाधान सुझाने तथा पूरे क्षेत्र में मानकीकरण में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। अपने दायित्व के अंतर्गत, समिति ने 15 फरवरी, 2024 को एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आयुर्वेद औषधि निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को एक साथ लाया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से मौजूदा मुद्दों की पहचान करने और गुणवत्ता आश्वासन तथा नियामक अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए व्यवहार्य सुधारात्मक उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

संलग्नक-I

केरल में पिछले पाँच वर्षों के दौरान औषधीय पौधों के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है;

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना का शीर्षक	संस्वीकृत राशि (रुपये में)
1.	वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज, ओल्लूर, थैकट्टुसेरी, त्रिशूर, केरल	आयुर्वेदिक औषधि "मूर्वा" के स्रोत पौधों का औषधि-विज्ञान संबंधी, पादप-रासायनिक एवं डीएनए बारकोडिंग के माध्यम से विवादास्पद औषधि (संदिग्ध द्रव्य) की आयुर्वेदिक अवधारणा का अध्ययन	29,88,375/-
2.	आर्य वैद्यशाला, कोट्टक्कल, मलप्पुरम, केरल	चयनित दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए फाइटोकेमिकल एवं औषधीय मूल्यांकन के माध्यम से विकल्पी/सतत् वैकल्पिक प्रजातियों या पौधों के भागों की पहचान	33,01,830/-
3.	केएससीएसटीई - जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिक गार्डन एवं अनुसंधान संस्थान, पालोड, तिरुवनंतपुरम, केरल	आयुर्वेद में प्रतिस्थापित/मिलावटी औषधियों के रूप में प्रयुक्त चयनित औषधीय पौधों पर एक मोनोग्राफ का निर्माण, विशेष रूप से मेसुआ फेरिया एल. के संदर्भ में: एक समेकित औषधि-ज्ञान, पादप-रासायनिक एवं औषधीय दृष्टिकोण	19,45,430/-
4.	आर्य वैद्यशाला, कोट्टक्कल, मलप्पुरम, केरल	कैंसर चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में प्रयुक्त मानकीकृत हर्बल अर्कों का कार्यात्मक लक्षण-निर्धारण एवं एपिजेनेटिक विनियमन।	19,35,190/-

संलग्नक-II

केरल में आयुर्स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का विवरण निम्नानुसार है;

क्र.सं.	**संगठन का नाम**	**परियोजना का नाम**	**जारी की गई निधि** (राशि रुपये में)	
			कुल संस्वीकृत निधि	**कुल जारी की गई निधि**
1.	आर्य वैद्यशाला, कोट्टक्कल	आर्य वैद्यशाला, कोट्टक्कल में कैंसर अनुसंधान हेतु उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना	रु. 6,64,45,170/-	रु.5,31,56,136/-
2.	केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद (केएससीएसटीई)	भोजन, आयुष एवं स्वदेशी चिकित्सा में प्रयुक्त पौधों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान (टी .के.) का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण	रु.1,90,81,000/-	रु.1,90,81,000/-